रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार मार्च, 2, 1972/फाल्गुन 12, 1893
No 50] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972 PHALGUNA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd March 1972

SUBJECT.—*Export of Sillimanite Ore.*

No. 1-ITC(PN)/72.—It has been decided to allow freely export of all grades and varieties of Sillimanite Ore falling under item No 14(iv) of Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, during the period January 1972 to March 1972, on presentation of Shipping Bills by all categories of exporters to all permissible destinations on first-come, first-served basis. Exporters interested in these exports should make their applications at the Port Licensing Offices.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

विषय :—सिलीमनाइट अयस्क का निर्यात

संख्या 1 टी० सी० (पी० एन०)/72.—जनवरी 1972 से मार्च, 1972 अवधि के दौरान सभी प्रकार के निर्यातकों को उनके द्वारा सदान बिल प्रस्तुत करने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची के भाग 'बी' की मद सं० 14(4) के अंतर्गत आने वाली सिलीमनाइट अयस्क की सभी श्रेणियों और किस्मों का सभी अनुमेय स्थानों को निर्बाध रूप से निर्यात करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। इन निर्यातों के इच्छुक निर्यातकों को अपने आवेदन पत्र पत्तन-लाइसेंस-कार्यालयों को भेजने चाहिएं।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972